न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 129/2023 निर्णय दिनांकः 26.03.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/ 261

1. चन्दादेवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल 2. सत्यनारायण 3. राजेन्द्र प्रसाद 4. विजयराज 5. बाबुलाल 6. कमल किशोर 7. नोरतमल 8. सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण कन्हैयालाल जाति दर्जी निवासीगण आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. **श्री बाबुलाल दर्जी अभिभाषक वादीगण।**
2. **पैरोकारराज स्टेट की ओर से।**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थाई निवासीगण है। वादीगण के पिता/पति स्व. कन्हैयालाल ने अपने जीवन काल में खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.26 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 चन्दादेवी व खसरा नम्बर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर की भूमि अपने नाम से व खसरा नम्बर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर भूमि अपने नाम से खसरा नम्बर 824 तादादी 6.32 हैक्टेयर की भूमि वादी संख्या 2 सत्यनारायण के नाम से व खसरा नम्बर 821 तादादी 2.66 हैक्टेयर की भूमि वादी संख्या 5 बाबुलाल के नाम से व खसरा नम्बर 820 तादादी 11.60 हैक्टेयर की भूमि वादी संख्या 4 विजयराज के नाम से व खसरा नम्बर 947 तादादी 5.77 हैक्टेयर की भूमि वादी संख्या 3 राजेन्द्र प्रसाद के नाम से अपनी गाढ़ी कमाई से खरीद कर विक्रय पत्र पंजीकृत अपनी पत्नी व अपने पुत्रों के नाम से करवाये थे। वादीगण के पिता/पति स्व. कन्हैयालाल की मृत्यु सन् 1999 में हो चुकी है। वादीगण के पिता/पति स्व. कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उनकी स्वयं की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 792 व 946 के विरासतन इन्तकाल उनके वारिसानों के नाम दर्ज हुऐ। विरासतन इन्तकाल दर्ज होने के बाद वादीगण के खेतो की खातेदारी वर्तमान में इस प्रकार हैः— खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.26 हैक्टेयर खातेदार चन्दादेवी व खसरा नम्बर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर खातेदार कमल, नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण, सुरेन्द्र, व खसरा नम्बर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर खातेदार कमल, नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण, सुरेन्द्र, खसरा नम्बर 824 तादादी 6.32 हैक्टेयर खातेदार सत्यनारायण खसरा नम्बर 821 तादादी 2.66 हैक्टेयर खातेदार बाबुलाल, खसरा नम्बर 820 तादादी 11.60 हैक्टेयर खातेदार विजयराज, खसरा नम्बर 947 तादादी 5.77 हैक्टेयर खातेदार राजेन्द्र प्रसाद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादीगण के पिता/पति स्व. कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में वारिसानों के मध्य अचल सम्पतियो का मौखिक बंटवारा दिनांक 21.12.1998 को हो गया था तब से वादीगण वादगत खेतो को मुताबिक बंटवारा मौका पर कब्जा, काश्त, उपयोग—उपयोग में लेते चले आ रहे है। वादीगण के पिता/पति स्व. कन्हैयालाल ने संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता खानदान थे। समस्त परिवार का खाना पीना संयुक्त ही रहा है। वादीगण संयुक्त परिवार के सहभागीदार बन गए थे। बतौर मैनेजर स्व. कन्हैयालाल जी अपने संयुक्त परिवार का लेना देना खरीद फरोक्त अपने विवेक से करते थे। स्व. कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चन्दादेवी बतौर कर्ता खानदान व मैनेजर की रूप में काम करती आ रही है। पूर्व में हुए मौखिक विभाजन की लिखापढ़ी नही हुई थी परन्तु परिवार अत्यधिक बड़ा हो चुका है भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इसलिए वादीगण ने पूर्व में हुए मौखिक विभाजन को दिनांक 02.02.2023 को लिखित में तहरीर व तकमील कर लिया परन्तु राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त व बंटवारा से भिन्न चली आ रही है। इसलिए वादीगण समझौता के अनुसार घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौता के अनुसार वादी संख्या 1 जो कि शेष वादीगण की माता है, वादी संख्या 1 के नाम से खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.26 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 को अन्य अचल सम्पतियां बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है इसलिए वादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी डिलीट कर पारिवारिक समझौता के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावें। पारिवारिक समझौता इस प्रकार से है:–

क्र. सं.	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	संयुक्त परिवार के खातेदार	पक्षकार की पांति में आया व रहा
1.	जेतासर	841	6.26 है.	चन्दादेवी	सुरेन्द्र कुमार
2.	जेतासर	792	24.51 है.	कमल, नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण,सुरेन्द्र	1. विजयराज 6.98 है. पश्चिम. 2. कमल कुमार 13.65 है मध्य 3. नौरतमल 3.88 है. दक्षिण
3	जेतासर	946	6.02 है.	कमल,नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण, सुरेन्द्र	1. राजेन्द्र प्रसाद 0.71 है. पश्चिमी 2. नौरतमल 2.70 है. पूर्वी 3. सुरेन्द्र कुमार 2.61 है, उतर पूर्वी
4	जेतासर	824	6.32 है.	सत्यनारायण	नौरतमल
5	जेतासर	821	2.66 है.	बाबुलाल	बाबुलाल
6	जेतासर	820	11.60 है.	विजयराज़	1. विजयराज 4.40 है. पूर्वी 2. बाबुलाल 7.20 है. पश्चिम
7	जेतासर	947	5.77 है.	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद

वादीगण वादगत खेतो का पारिवारिक समझौता के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की घोषणा करवाकर वादगत खेतो का विभाजन करवाने हेतु दिनांक 01.09.2023 को प्रतिवादी से कहा तो प्रतिवादी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त दावा घोषणात्मक व विभाजन का प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है, घोषणात्मक अनुतोष के दावा में जाब्ता दिवानी की धारा 80 सीपीसी का नोटिस दावा दायरी से पूर्व दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त मान्य न्यायालय से नोटिस की छुट की प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खेत वादीगण के पैतृक व खातेदारी के खेत है वादीगण वादगत खेतो का पारिवारिक समझौता के अनुसार खातेदारी व विभाजन चाहते है परन्तु प्रतिवादी ने वादगत खेतो की खातेदारी पारिवारिक समझौता के अनुसार दर्ज करने से इन्कार कर दिया है इसलिए वादीगण को इन्कारी की दिनांक से वाद हेतु व वादगत खेत पैतृक व खातेदारी के होने से वादाधार प्राप्त है। अतः दावा प्रस्तुत कर बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री आज्ञाप्त फरमायी जावेः–

(क) 1. वादी संख्या 3 के नाम खेत खसरा नम्बर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर में से 0.71 हैक्टेयर पश्चिमी व खसरा नम्बर 947 तादादी 5.77 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि रोही मोजा जेतासर।

2. वादी संख्या 4 के नाम खेत खसरा नम्बर 820 तादादी 11.60 हैक्टेयर में से 4.40 हैक्टेयर पूर्वी व खसरा नम्बर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर में से 6.98 हैक्टेयर पश्चिमी भूमि रोही मोजा जेतासर।

3. वादी संख्या 5 के नाम खेत खसरा नम्बर 820 तादादी 11.60 हैक्टेयर में से 7.20 हैक्टेयर पश्चिमी व खसरा नम्बर 821 तादादी 2.66 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि रोही मोजा जेतासर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

4. वादी संख्या 6 के नाम खेत खसरा नम्बर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर में से 13.65 हैक्टेयर मध्य भूमि रोही मोजा जेतासर।
5. वादी संख्या 7 के नाम खेत खसरा नम्बर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर में से 3.88 हैक्टेयर दक्षिणी व खसरा नम्बर 824 तादादी 6.32 हैक्टेयर में से 6.98 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर में से 2.70 हैक्टेयर पूर्वी भूमि रोही मोजा जेतासर।
6. वादी संख्या 8 के नाम खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.26 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर में से 2.61 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भूमि रोही मोजा जेतासर।

उपरोक्त अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जाकर उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) दावा की मद (क) 1 से मद (क) 6 में वर्णित खेतो का मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व राजस्व, नक्शा में अलग से तरमीम किया जाकर खाता विभाजन किया जावें व अलग से लगान कायम की जावें। उपरोक्तानुसार खाता विभाजन की पालना प्रतिवादी से करवाई जावे का निवेदन किया है।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया गया। वाद में कोई आपति (इश्यू) नहीं होने के कारण तनकीहायत कायम नहीं की गई। वादीगण द्वारा शपथ पत्र साक्ष्यप्रतिवादीगण पेश किया गया। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। संक्षेप में वादीगण को आपसी राजीनामें से वाद को स्वीकार करनें एवं प्रतिवादी को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 841 तादादी 6.26 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 792 तादादी 24.51 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 946 तादादी 6.02 हैक्टेयर,खेत खसर नंबर 824 तादादी 6.32 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 821 तादादी 2.66 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 820 तादादी 11.60 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 947 तादादी 5.77 हैक्टेयर वाकेरोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है एवं वादीगण संख्या 01 व 02 का नाम डिलीट किया जाकर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:—

क्र. सं.	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	संयुक्त परिवार के खातेदार	पक्षकार की पांति में आया व रहा
1.	जेतासर	841	6.26 है.	चन्दादेवी	सुरेन्द्र कुमार
2.	जेतासर	792	24.51 है.	कमल, नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण,सुरेन्द्र	1. विजयराज 6.98 है. पश्चिम. 2. कमल कुमार 13.65 है मध्य 3. नौरतमल 3.88 है. दक्षिण
3	जेतासर	946	6.02 है.	कमल,नौरत, राजेन्द्र, सत्यनारायण, सुरेन्द्र	1. राजेन्द्र प्रसाद 0.71 है. पश्चिमी 2. नौरतमल 2.70 है. पूर्वी 3. सुरेन्द्र कुमार 2.61 है, उतर पूर्वी
4	जेतासर	824	6.32 है.	सत्यनारायण	नौरतमल
5	जेतासर	821	2.66 है.	बाबुलाल	बाबुलाल
6	जेतासर	820	11.60 है.	विजयराज	1. विजयराज 4.40 है. पूर्वी 2. बाबुलाल 7.20 है. पश्चिम
7	जेतासर	947	5.77 है.	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 01 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 08 के पक्ष में एवं वादी संख्या 02 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है, लिहाजा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ छोडे गये हिस्से पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क वसूल कर राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व राजस्व नक्शा में अलग से तरमीम कर खाता विभाजन करें। रहन यथावत् रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २६.०३.२०२४ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:43 IST
Reason: SelfAttested